मध्यप्रदेश शासन

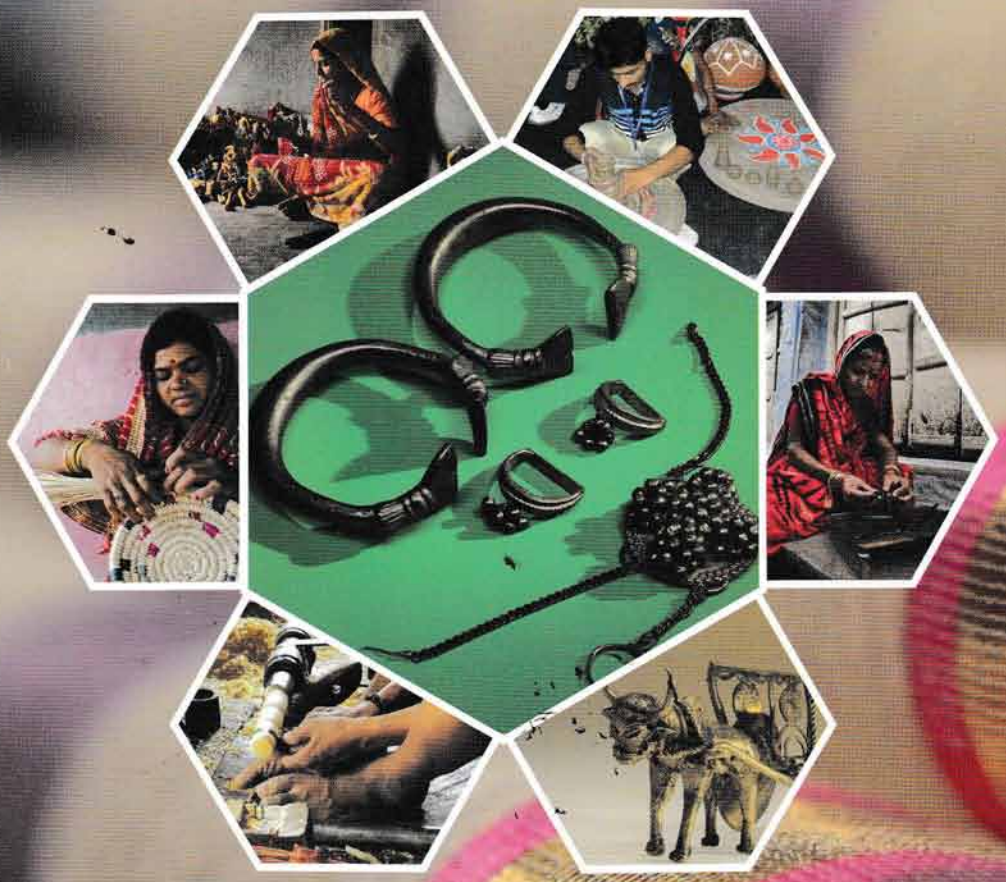

# कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

## प्रशासकीय प्रतिवेदन
## वर्ष 2016-17

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त महेश्वर के बुनकर श्री अकील अंसारी के उत्पादों का अवलोकन करते हुए।

मध्यप्रदेश शासन

# प्रशासकीय प्रतिवेदन

## वर्ष 2016–17

## कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

# वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

## 2016–17

| | |
|---|---|
| विभाग का नाम | – कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग |
| मंत्री | – श्री अंतर सिंह आर्य |

### राज्य मंत्रालय

| | |
|---|---|
| प्रमुख सचिव | – श्रीमती वीरा राणा |
| उप सचिव | – श्री पुरूषोत्तम शर्मा |
| उप सचिव | – श्रीमती मगदली खलको |
| अवर सचिव | – श्री चन्द्रकांत कश्यप |

### विभागाध्यक्ष

| | |
|---|---|
| आयुक्त, रेशम संचालनालय | – श्री अनिल श्रीवास्तव |
| संचालक, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प | – श्रीमती जी.व्ही.रश्मि |

### प्रबंध संचालक

| | |
|---|---|
| खादी तथा ग्रमोद्योग बोर्ड | – श्रीमती रेनू तिवारी |
| संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम | – श्रीमती जी.व्ही. रश्मि |
| म.प्र. माटीकला बोर्ड | – श्री सी.एम. शर्मा |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी | |

## भाग–एक

# कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की संरचना

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज में गांव के कुटीर, लघु और कृषि उद्योग को शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने स्थानीय संगठनों को योग्य एवं कुशल बनाने और पारम्परिक संसाधनों के अधिकाधिक विवेकपूर्ण उपयोग की भी बात कही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन ने मई 1990 में ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की है। तब से विभाग निरंतर ग्रामोद्योगों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अग्रसर है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का नेतृत्व कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री द्वारा किया जाता है।

प्रशासनिक स्तर पर प्रमुख सचिव, दो उप सचिव, एक अवर सचिव और दो अनुभाग अधिकारी की सेवाएँ कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को उपलब्ध हैं।

### विभागाध्यक्ष

1. आयुक्त/संचालक, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. आयुक्त, रेशम मध्यप्रदेश, भोपाल

विकास कार्यों की समुचित व्यवस्था के लिये विभाग के अंतर्गत तीन सार्वजनिक उपक्रम और दो राज्य स्तरीय सहकारी संघ कार्यरत हैं।

### सार्वजनिक उपक्रम

1. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल
2. संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल
3. मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड, भोपाल

### राज्य स्तरीय सहकारी संघ

1. मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित जबलपुर (परिसमापन अन्तर्गत)
2. मध्यप्रदेश स्टेट सेरीकल्चर डेव्हलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग को–आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल।
3. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल।

## हाथकरघा संचालनालय की विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

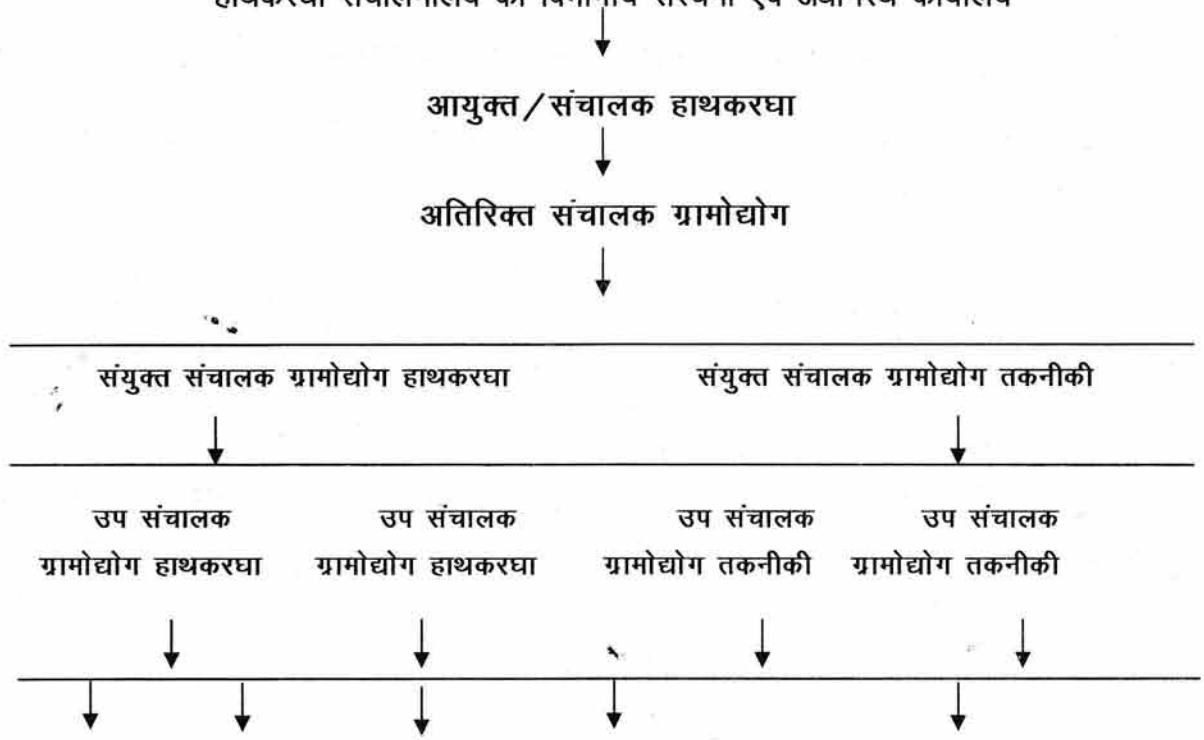


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्वालियर | भोपाल<br>ग्वालियर<br>जबलपुर | चंदेरी | मुख्य प्रवर्तन कार्यालय<br>भोपाल | भिण्ड | नीमच | सीधी |
| जबलपुर | सीहोर | महेश्वर | उप प्रवर्तन कार्यालय<br>बुरहानपुर | मुरैना | रतलाम | डिण्डोरी |
| इंदौर | सारंगपुर<br>उज्जैन<br>मंदसौर | इंदौर | | विदिशा<br>रायसेन<br>खण्डवा | शहडोल<br>सागर<br>नरसिंहपुर | दमोह<br>श्योपुर<br>हरदा |
| भोपाल | झाबुआ<br>सौंसर<br>सतना<br>वारासिवनी<br>निवाड़ी<br>बुरहानपुर<br>शिवपुरी | | | बैतूल<br>होशंगाबाद<br>सिवनी<br>रीवा<br>शाजापुर<br>गुना<br>आगर (मालवा) | मण्डला<br>बड़वानी<br>धार<br>देवास<br>अनूपपुर<br>अलीराजपुर | पन्ना<br>कटनी<br>उमरिया<br>छतरपुर<br>दतिया<br>सिगंरौली |

## रेशम संचालनालय की संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

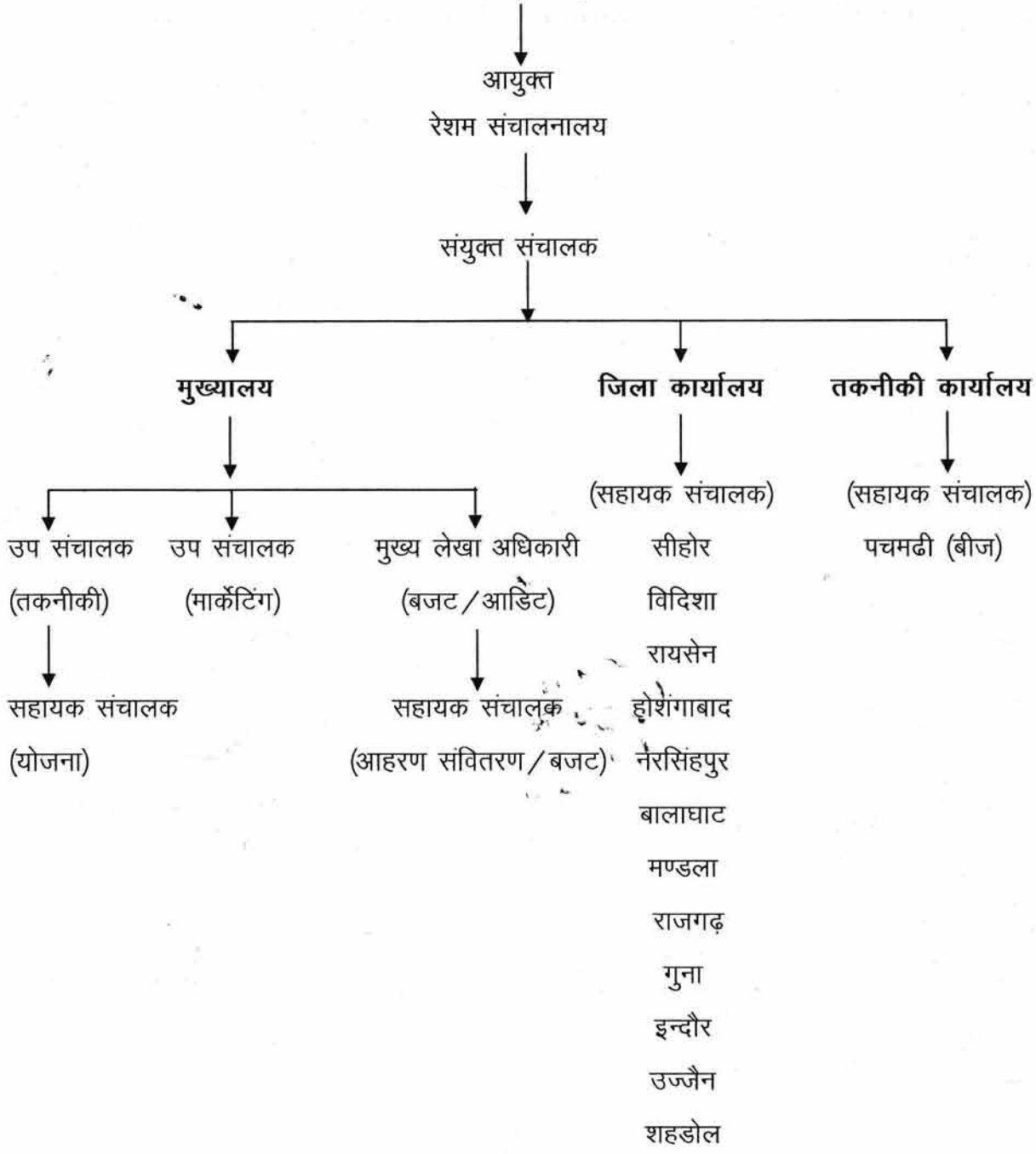

## मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप

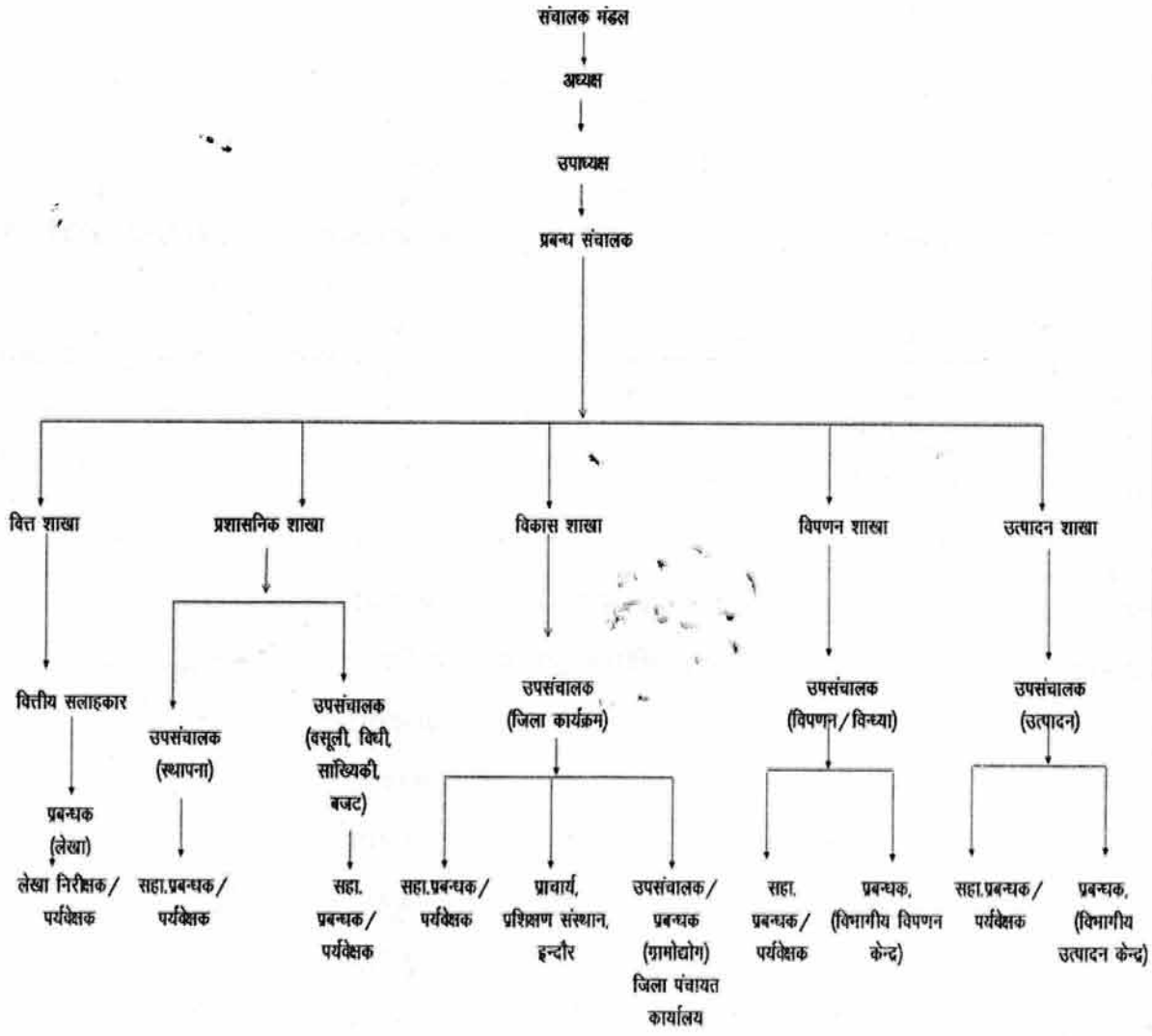

## संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम की संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

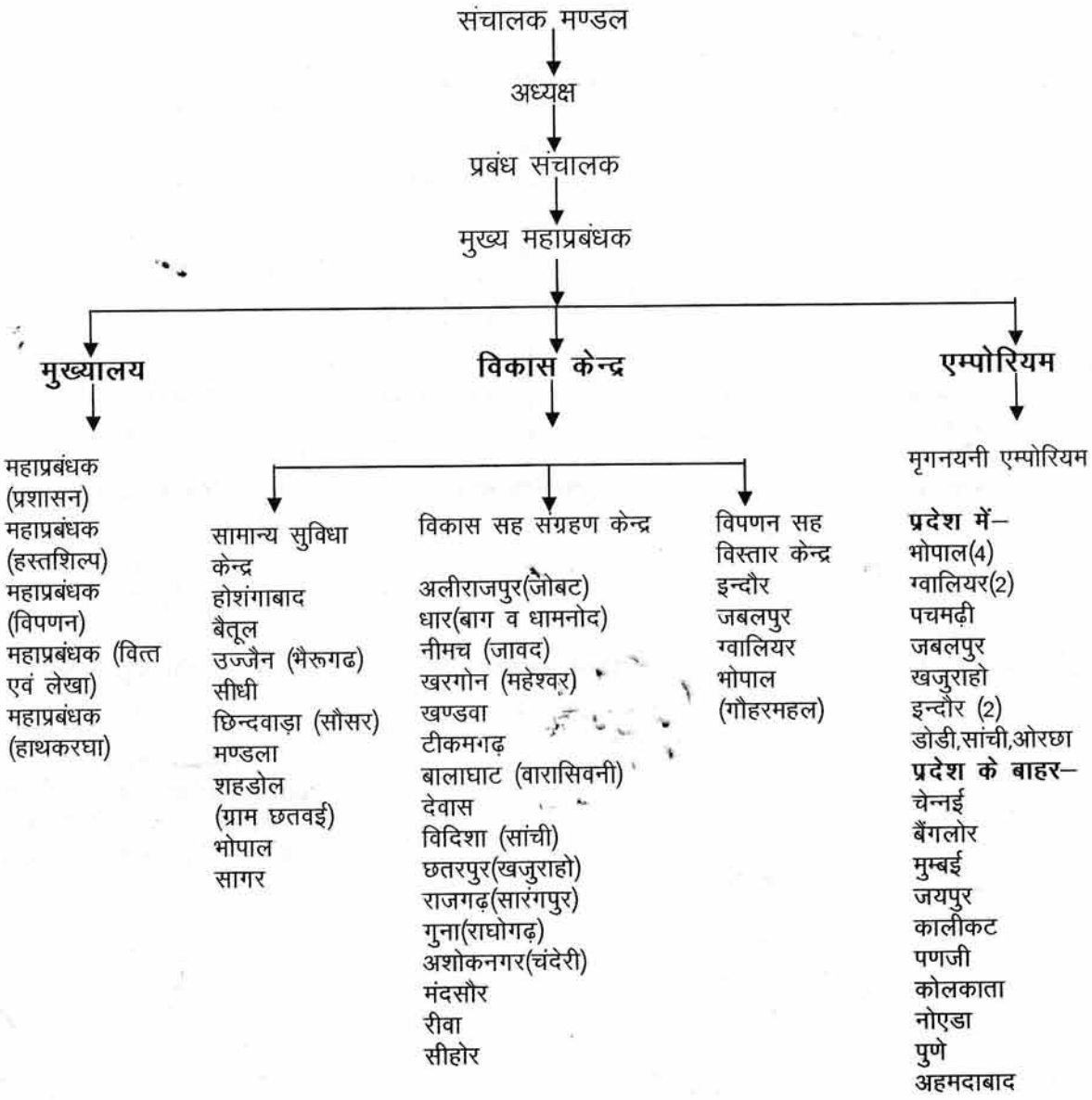

## मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप

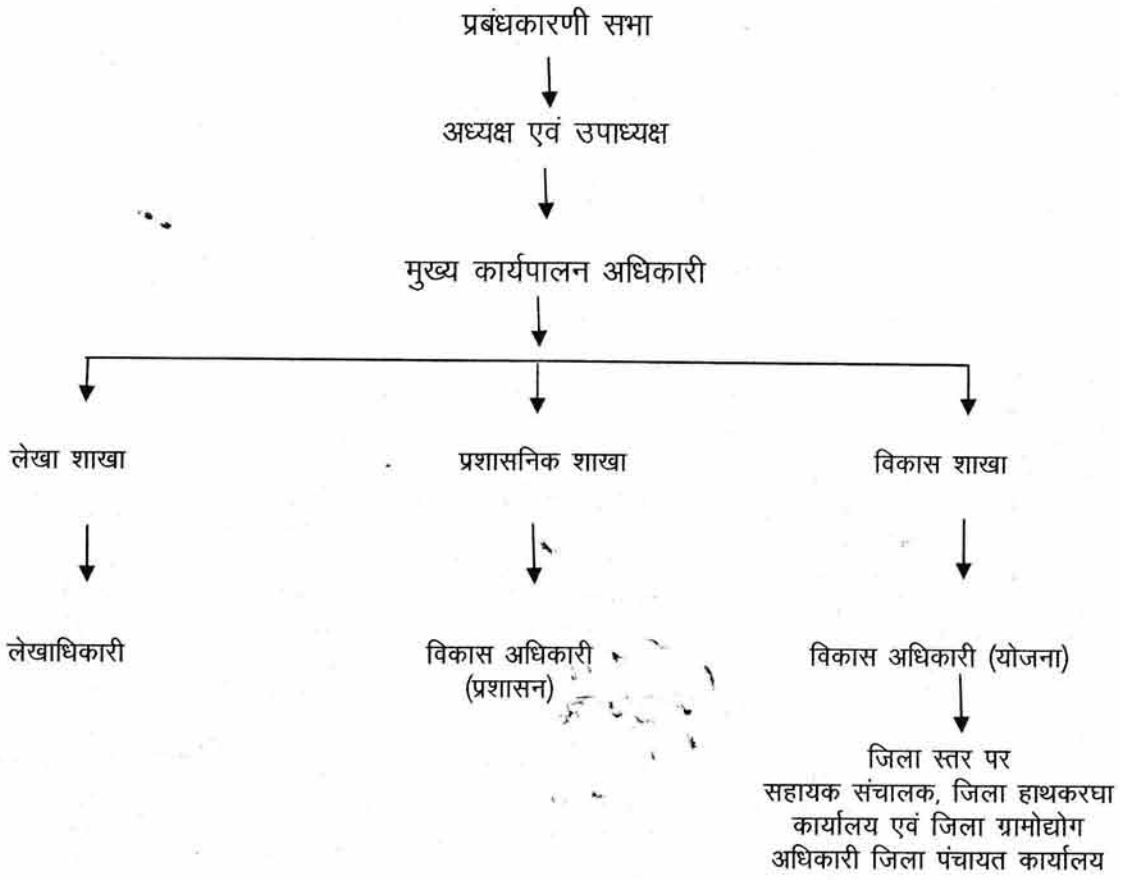

## कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के दायित्व

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की भूमिका मध्य प्रदेश के परंपरागत ग्रामोद्योगों के संवर्धन, समग्र विकास, रोजगार बढ़ाने, ग्रामोत्पादों की गुणवत्ता का विकास, कौशल उन्नयन, ग्रामोत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाना एवं उनके विपणन को प्रोत्साहित करने से है। विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :–

- ग्रामोद्योगों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामोद्योग विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए बुनियादी एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत प्रोद्योगिकी, उत्पाद विकास, उच्चगुणवत्ता आदि के विकास के लिए सहयोग देना।
- क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए ग्रामोद्योग के विकास में निजी क्षेत्र, स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कृषि उपज आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामोद्योग के उत्पादों के बारे में प्रदेश के भीतर एवं बाहर की मांग का आकलन कर, विपणन तंत्र को चिन्हित कर विकसित करना, गुणवत्ता के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन हेतु बेकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराना तथा उत्पादन के विपणन को प्रोत्साहित करना।

## हाथकरघा संचालनालय के दायित्व

- प्राचीनतम एवं उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परम्परा को समृद्ध बनाना।
- हाथकरघा उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना।
- हाथकरघा बुनकरों को सतत रोजगार उपलब्ध कराना तथा नये लोगों को इस उद्योग से संबद्ध कर रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- बुनकरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के प्रयास करना।
- प्रदेश में बुनकरों व अन्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

## रेशम संचालनालय के दायित्व

- राज्य में खेती को लाभ का धन्धा बनाने के उद्देश्य से, कृषकों को अपनी भूमि पर मलबरी पौधरोपण एवं कीटपालन हेतु प्रोत्साहित करना।
- बाजारोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ककून तथा रेशम धागे में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार लाना व कौशल उन्नयन एवं तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।
- रेशम उद्योग के प्रबंधन में हितग्राहियों एवं स्टेकहोल्डर की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मूल्य अभिवृद्धि की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर विपणन को बढ़ावा देना।
- प्रदेश के वनों का संवहनीय दोहन कर टसर उत्पादन का विकास करना।

## मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के दायित्व

- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये संयंत्र, मशीनें और उपकरणों का प्रदाय एवं कच्चे माल की आपूर्ति करना।

## संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के दायित्व

- प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प एव हाथकरघा संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन कर रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- विकासात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों के संचालन व अधोसंरचना विकास द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिसमें परम्परागत शिल्पी व बुनकर परिवारों के युवा पैतृक व्यवसाय में ही बने रहे।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग के अनुरूप हस्तशिल्प व हाथकरघा सेक्टर के उत्पादों की गुणवत्ता व डिजाइन्स में सुधार लाकर बाजार की प्रतिस्पर्धा में बिक्री योग्य बनाना।
- तकनीकी उन्नयन द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता बढ़ाकर शिल्पियों व बुनकरों की आमदनी में वृद्धि करना।
- हाथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए सहायता व मार्केट लिंकेज़।

शिल्पियों और बुनकरों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा परम्परागत शिल्प पॉकेट्स और हाथकरघा सघन क्षेत्रों में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था के लिए 24 एम्पोरियम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 10 प्रदेश के बाहर देश के प्रमुख नगरों में हैं।

भोपाल, ग्वालियर एवं इन्दौर में स्थायी हाट की स्थापना की गई है।

## मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड के दायित्व

- माटीकला कार्य उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना जैसे बिजली, पानी पहुँच मार्ग की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण एवं सुझाव देना ।
- तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के संबंध में प्रभावी योजना बनाना एवं धनराशि की व्यवस्था करना।
- केन्द्र सरकार, राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र से माटी का कार्य करने वालों को सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना।
- माटी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव देना।

## भाग–दो

## बजट विहंगावलोकन

### (केन्द्र शासन की योजनाओं को सम्मिलित कर)

### कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कुल बजट

(राशि रूपये लाख में)

| क्र. | विभागाध्यक्ष / निगम / बोर्ड | बजट प्रावधान वर्ष 2016–17 | बजट आबंटन वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 16 तक) | व्यय वर्ष 2016–17 (दिसंबर 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | हाथकरघा संचालनालय | 4141.225 | 4031.76 | 3192.879 |
| 2. | रेशम संचालनालय | 15142.97 | 13773.30 | 4427.16 |
| 3. | म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड | 5533.071 | 5041.935 | 4036.491 |
| 4. | संत रविदास मप्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम | 1564.484 | 1564.484 | 1542.065 |
| 5. | म.प्र. माटीकला बोर्ड | 517.19 | 451.69 | 329.95 |
| | योग | 26898.94 | 24863.169 | 135828.545 |

# हाथकरघा संचालनालय

## (केन्द्र शासन की योजनाओं को सम्मिलित कर)

(राशि रूपये लाख में)

| क्र0 | योजना | बजट प्रावधान वर्ष 2016–17 | बजट आबंटन वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 16 तक) | व्यय वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| **राज्य स्तरीय– मांग संख्या–56** | | | | |
| 1. | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 91.53 | 79.53 | 79.528 |
| 2. | प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 3. | उद्यमी/स्व–सहायता समूह/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग | 21.195 | 21.195 | 21.195 |
| 4. | अनुसंधान एंव विकास | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 5. | कबीर बुनकर पुरूस्कार योजना | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 6. | सूचना प्रौद्योगिकी | 29.02 | 29.02 | 23.00 |
| 7. | मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना/आर्थिक कल्याण योजना | 3283.78 | 3283.78 | 2502.81 |
| 8. | युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण | 9.00 | 9.00 | 8.936 |
| 9. | आई.आई.यू.एस.परियोजना चन्देरी | 198.99 | 50.00 | 50.00 |
| 10. | अतिरिक्त अमला | 87.34 | 87.34 | 60.97 |
| | **योग** | **3788.95** | **3568.865** | **2755.439** |
| **मांग संख्या–41** | | | | |
| 1 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 2 | मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना/आर्थिक कल्याण योजना | 128.37 | 128.37 | 128.37 |
| | **योग** | **136.37** | **136.37** | **136.37** |
| **मांग संख्या–64** | | | | |
| 1 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2 | मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना/आर्थिक कल्याण योजना | 162.28 | 162.28 | 162.28 |
| | **योग** | **182.28** | **177.28** | **177.28** |
| | **महा योग –** | **3971.23** | **3882.515** | **3069.089** |

| जिला स्तरीय योजनायें | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मांग संख्या–74 | | | | |
| क. | योजना | बजट आवंटन वर्ष 2016–17 | बजट आवंटन वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) | व्यय वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) |
| 1 | हाथकरघा विकास योजना | 111.10 | 96.10 | 83.58 |
| | **योग** | 111.10 | 96.10 | 83.58 |
| **मांग संख्या 52** | | | | |
| 1 | हाथकरघा विकास योजना | 45.36 | 34.86 | 29.67 |
| | **योग** | 45.36 | 34.86 | 29.67 |
| **मांग संख्या–15** | | | | |
| 1 | हाथकरघा विकास योजना | 23.535 | 18.285 | 10.54 |
| | **योग** | **23.535** | **18.285** | **10.54** |
| | **जिला योजना बजट का योग** | **179.995** | **149.245** | **123.79** |
| | **राज्य योजना बजट का योग** | **3971.23** | **3882.515** | **3069.089** |
| | **महायोग** | **4151.225** | **4031.76** | **3192.879** |

## रेशम संचालनालय

**राज्य आयोजना मांग संख्या 56** (राशि रूपये लाख में)

| क. | योजना | बजट आवंटन वर्ष 2016–17 | बजट आवंटन वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) | व्यय वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| | **मांग संख्या– 56** | | | |
| 1 | प्रशिक्षण एवं अनुसंधान | 518.45 | 460.28 | 161.29 |
| 2 | रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं व अन्य निर्माण कार्य | 468.24 | 411.04 | 151.23 |
| 3 | उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम | 3629.48 | 3619.80 | 00.00 |
| 4 | सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य | 50.00 | 45.00 | 31.45 |
| 5 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 1024.20 | 1024.20 | 1011.42 |
| 6 | इरी रेशम विकास एवं विस्तार | 8.10 | 6.30 | 4.53 |
| 7 | उद्यमियों/स्वसहा.समूह एवं अशा. संस्थाओं को सहयोग | 457.83 | 439.83 | 14.40 |
| 8 | रेशम उद्योग का विकास कार्य | 2966.18 | 2377.17 | 1416.76 |
| 9 | टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम | 262.98 | 221.80 | 135.82 |
| 10 | प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण | 45.00 | 40.50 | 21.74 |
| | **योग** | 9430.46 | 8645.92 | 2948.64 |

मांग संख्या – 41

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रशिक्षण एवं अनुसंधान | 189.00 | 152.00 | 62.47 |
| 2 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 40.50 | 31.50 | 10.00 |
| 3 | टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम | 935.28 | 725.58 | 448.44 |
| 4 | उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम | 1844.64 | 1843.20 | 00.00 |
| 5 | रेशम उद्योग का विकास कार्य | 1158.98 | 970.12 | 669.05 |
| 6 | उद्यमियों/स्वसहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग | 13.50 | 4.50 | 4.50 |
| | **योग** | **4181.90** | **3726.90** | **1194.46** |

मांग संख्या – 52

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम | 50.58 | 38.43 | 23.07 |

| क. | योजना | बजट आवंटन वर्ष 2016–17 | बजट आवंटन वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) | व्यय वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| | **मांग संख्या – 64** | | | |
| 1 | प्रशिक्षण एवं अनुसंधान | 67.50 | 44.00 | 17.18 |
| 2 | रेशम उद्योग का विकास कार्य | 472.33 | 380.18 | 217.39 |
| 3 | रेशम उद्योग का विकास कार्य (पूँजी परिव्यय) | 49.25 | 48.50 | 21.50 |
| 4 | टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम | 9.17 | 9.17 | 4.92 |
| 5 | उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम | 881.78 | 880.20 | 00.00 |
| | **योग** | **1480.03** | **1362.05** | **260.99** |
| | **महायोग** | **15142.97** | **13773.30** | **4427.16** |

## मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(राशि रूपये लाख में)

| क. | योजना | बजट आवंटन वर्ष 2016–17 | बजट आवंटन वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) | व्यय वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| | **मांग संख्या–56** | | | |
| 1 | स्थापना अनुदान आयोजना प्लान | 484.20 | - | 116.52 |
| 2 | अमला प्रशिक्षण | 7.20 | 7.20 | 6.48 |
| 3 | खादी उत्पादन पर रिबेट | 49.50 | 49.50 | 48.88 |
| 4 | कत्तिनों को सहायता | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | विपणन सहायता एवं प्रचार प्रसार | 112.50 | 112.50 | 112.50 |
| 6 | कच्चा माल क्रय सहायता | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 7 | अनुसंधान एवं विकास | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 8 | सूचना एवं प्रौद्योगिकी | 13.50 | 13.50 | 8.83 |
| 9 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 630.00<br>2850.00 | 3480.00 | 2722.50 |
| 10 | कौशल उन्नयन | 244.44 | 244.44 | - |
| 11 | ग्रामोद्योग गतिविधियों का संचालन एवं संवर्धन | 126.936 | 120.00 | 120.00 |
| | **योग** | **4725.276** | **4234.14** | **3342.71** |

**मांग संख्या–41**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 292.347 | 292.347 | 292.347 |
| 2 | कौशल उन्नयन | 52.362 | 52.362 | 10.15 |
| | **योग** | **344.709** | **344.709** | **302.497** |

**मांग संख्या–64**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 391.284 | 391.284 | 391.284 |
| 2 | कौशल उन्नयन | 71.802 | 71.802 | - |
| | **योग** | **463.086** | **463.086** | **391.284** |
| | **महायोग** | **5533.071** | **5041.935** | **4036.491** |
| **केन्द्र शासन(खादी ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्त पोषित** | | | | |
| | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | 2991.55 | - | 355.60 |

## संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

(राशि रूपये लाख में)

| क. | योजना | बजट आवंटन वर्ष 2016–17 | बजट आवंटन वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) | व्यय वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| | **मांग संख्या–56** | | | |
| 1 | विकास सह संग्रहण केन्द्रों का संचालन | 486.50 | 486.50 | 410.20 |
| 2 | प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार | 122.75 | 122.75 | 102.00 |
| 3 | हस्तशिल्पों की बिक्री पर अवहार | 150.00 | 150.00 | 138.30 |
| 4 | शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना | 0.009 | 0.009 | - |
| 5 | अनुसंधान एवं विकास | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 6 | उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग | 27.00 | 27.00 | 27.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 235.542 | 113.25 | 107.247 |
| 8 | निगम मुख्यालय को मॉनिटरिंग हेतु अनुदान | 332.965 | 332.965 | 232.965 |
| 9 | निगम भवनों का संधारण | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 10 | स्पेशल प्रोजेक्ट | 0.009 | 0.009 | - |
| 11 | प्रमोशन अभिलेखीकरण | 45.00 | 45.00 | 40.00 |
| 12 | अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान | 0.009 | 0.009 | - |
| 13 | राज्य स्तरीय पुरस्कार | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 14 | सूचना प्रौद्योगिकी विकास | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 15 | कालीन पार्क | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 16 | कौशल विकास | 18.00 | 18.00 | 15.22 |
| | **मांग संख्या–64** | | | |
| 1 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | - | 55.008 | 55.008 |
| | **मांग संख्या–41** | | | |
| 1 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | - | 67.284 | 62.284 |
| | **कुल योग–** | **1564.484** | **1564.484** | **1112.385** |

**मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड**

राशि रूपये लाख में)

| **मांग संख्या–56** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क.** | **योजना** | **बजट आवंटन वर्ष 2016–17** | **बजट आवंटन वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक)** | **व्यय वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक)** |
| 1. | मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना | 481.01 | 414.80 | 294.66 |
| 2. | उद्यमियों को प्रशिक्षण | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
| 3. | प्रचार–प्रसार योजना | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
| 4. | कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन | 4.50 | 4.50 | 2.90 |
| 5. | मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान | 1.80 | - | - |
| **मांग संख्या–41** | | | | |
| | | | | |
| 1. | मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| **मांग संख्या–64** | | | | |
| 1. | मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| | **महायोग (मांग संख्या –41+56+64)** | **519.70** | **451.69** | **329.95** |

## भाग–तीन

# तीन वर्षो की तुलनात्मक वित्तीय भौतिक उपलब्धियों की जानकारी
## हाथकरघा संचालनालय

### राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तीन वर्ष की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियॉ

अ– राज्य स्तरीय योजनाएं (राशि रूपये लाखों में)

| मांग संख्या–56 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | योजना | आबंटन वर्ष 2014–15 | व्यय वर्ष 2014–15 | आबंटन वर्ष 2015–16 | व्यय वर्ष 2015–16 | आबंटन वर्ष 2016–17 | व्यय वर्ष 2016–17 (दिस.16 तक) |
| 1 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यकम | 95.00 | 92.96 | 208.24 | 190.781 | 91.53 | 79.528 |
| 2 | प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 |
| 3 | उद्यमी/स्व–सहायता समूह /अशासकीय संस्थाओं को सहयोग | 30.00 | 29.954 | 50.00 | 49.50 | 21.195 | 21.195 |
| 4 | एकीकृत हाथकरघा विकास योजना | 0.01 | —— | 120.00 | —— | —— | —— |
| 5 | आई.आई यू .एस.परियोजना, चन्देरी | 0.01 | —— | 100.00 | 100.00 | 198.99 | 50.00 |
| 6 | अनुसंधान एंव विकास | 1.10 | —— | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| 7 | कबीर बुनकर पुरूस्कार योजना | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
| 8 | सूचना प्रौद्योगिकी | 3.00 | 2.55 | 3.00 | 2.50 | 29.02 | 23.00 |
| 9 | युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण | 15.00 | 15.00 | 12.50 | 12.492 | 9.00 | 8.936 |
| 10 | मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना/आर्थिक कल्याण योजना | 70.00 | 70.00 | 1068.84 | 1015.34 | 3283.78 | 2502.81 |
| 11 | अतिरिक्त अमला | 85.00 | 80.23 | 100.91 | 78.89 | 87.34 | 60.72 |
| | **योग** | **303.12** | **294.644** | **1672.49** | **1458.503** | **3729.885** | **2755.439** |
| **मांग संख्या–41** | | | | | | | |
| 1 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यकम | 30.00 | 30.00 | 3.20 | 3.20 | 8.00 | 8.00 |
| 2 | मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना/आर्थिक कल्याण योजना | 45.00 | 45.00 | 142.48 | 142.48 | 128.37 | 128.37 |
| | **योग** | **75.00** | **75.00** | **145.68** | **145.68** | **136.37** | **136.37** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मांग संख्या–64 | | | | | | | |
| 1 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 20.00 | 14.40 | 37.83 | 36.85 | 20.00 | 15.00 |
| 2 | मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना/आर्थिक कल्याण योजना | 60.00 | 60.00 | 172.86 | 172.86 | 162.28 | 162.28 |
| | योग | 80.00 | 74.40 | 210.69 | 209.71 | 182.28 | 177.28 |
| | महायोग | **460.46** | **449.274** | **1945.46** | **1813.893** | **4048.505** | **3069.089** |

## जिला स्तरीय योजनायें

(राशि रूपये लाखों में)

| मॉग 'संख्या– 74 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. | योजना | आबंटन वर्ष 2014–15 | व्यय वर्ष 2014–15 | आबंटन वर्ष 2015–16 | व्यय वर्ष 2015–16 | आबंटन वर्ष 2016–17 | व्यय वर्ष (दिसम्बर 16 तक) |
| 1. | हाथकरघा विकास योजना | 154.28 | 151.36 | 154.28 | 127.80 | 111.10 | 83.58 |
| 2. | कुटीर उद्योग विकास योजना | 293.56 | 293.56 | — | — | — | — |
| 3. | वेलफेयर पैकेज योजना | 17.99 | 5.26 | — | — | — | — |
| | योग :– | **465.83** | **450.18** | **154.28** | **127.80** | **111.10** | **83.58** |
| मॉग संख्या– 52 | | | | | | | |
| 1 | हाथकरघा विकास योजना | 27.29 | 25.68 | 24.60 | 23.51 | 45.36 | 29.67 |
| 2 | कुटीर उद्योग | 94.05 | 94.05 | — | — | — | — |
| 3 | वेलफेयर पैकेज योजना | 2.95 | 0.44 | — | — | — | — |
| | योग :– | **121.78** | **120.17** | **24.60** | **23.51** | **45.36** | **29.67** |
| मॉग संख्या– 15 | | | | | | | |
| 1 | हाथकरघा विकास योजना | 50.81 | 49.59 | 27.95 | 23.49 | 23.535 | 10.54 |
| 2 | कुटीर उद्योग विकास योजना | 111.25 | 111.24 | — | — | — | — |
| 3 | वेलफेयर पैकेज योजना | 4.33 | 0.98 | — | — | — | — |
| | योग :– | **166.39** | **161.81** | **27.95** | **23.49** | **23.535** | **10.54** |
| | जिला बजट का योग | **737.92** | **732.17** | **206.83** | **147.80** | **179.995** | **123.79** |
| | राज्य बजट का योग | **460.46** | **449.274** | **1623.52** | **1813.893** | **4048.53** | **3069.089** |
| | महायोग | **1198.38** | **1181.444** | **1830.35** | **1961.693** | **4228.525** | **3192.879** |

## राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तीन वर्ष की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियां

### राज्य स्तरीय योजनायें

| क. | योजना का नाम | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 16 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| | **मांग संख्या–56** | | | | | | |
| 1 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 100 हितग्राही | 100 हितग्राही | 835 उद्यमी | 553 उद्यमी | 110 हितग्राही | 86 हितग्राही |
| 2 | प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण | 20 हितग्राही | 20 हितग्राही | 01 उद्यमी | 01 उद्यमी | — | — |
| 3 | स्पेशल प्रोजेक्ट | — | — | 05 उद्यमी | — | — | — |
| 4 | उद्यमी/स्व–सहासमूह/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग | 85 हितग्राही | 85 हितग्राही | 80 उद्यमी | 120 उद्यमी | 50 हितग्राही | 200 हितग्राही |
| 5 | अनुसंधान एंव विकास | 01 क्लस्टर | — | 03 इकाई | 03 इकाई | — | 3 प्रशिक्षण केन्द्र |
| 6 | कबीर बुनकर पुरूस्कार योजना | 03 बुनकर | 03 बुनकर | 03 उद्यमी | 03 उद्यमी | 03 बुनकर | 03 बुनकर |
| 7 | सूचना प्रौद्योगिकी | कम्प्यूटर सामग्री | कम्प्यूटर सामग्री | कम्प्यूटर सामग्री | कम्प्यूटर सामग्री | कम्प्यूटर सामग्री | कम्प्यूटर सामग्री |
| 8 | युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण | 250 हितग्राही | 470 हितग्राही | 230 उद्यमी | 100 उद्यमी | 50 हितग्राही | 34 हितग्राही |
| 9 | हाथकरघा बुनकरों को वित्तीय पैंकज (समिति संख्या) | 20 हितग्राही | 20 हितग्राही | — | — | —— | —— |
| 10 | आई.आई.यू.एस. चन्देरी | — | — | 01 परियोजना | 01 परियोजना | 01 परियोजना | 01 परियोजना |
| 11 | राष्ट्रीय हाथकरघा विकास योजना | ---- | ----- | 50 उद्यमी | --- | — | -- |
| 12 | मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना | 475 हितग्राही | 475 हितग्राही | 808 उद्यमी | 825 | 1533 | 2393 हितग्राही |
| | **मांग संख्या 64** | | | | | | |
| 1 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 20 हितग्राही | 20 हितग्राही | 150 उद्यमी | 150 उद्यमी | 70 हितग्राही | 60 हितग्राही |
| 2 | मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना | 100 हितग्राही | 100 हितग्राही | 192 उद्यमी | 155 उद्यमी | 364 हितग्राही | 280 हितग्राही |
| | **मांग संख्या 41** | | | | | | |
| 1 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 30 हितग्राही | 30 हितग्राही | 15 उद्यमी | 20 उघमी | 25 हितग्राही | 40 हितग्राही |
| 2 | मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना | 100 हितग्राही | 100 हितग्राही | 158 उद्यमी | 158 उद्यमी | 203 हितग्राही | 190 हितग्राही |

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

| | मांग संख्या–56 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. | योजना का नाम | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 16 तक) | |
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | आई.आई.यू.एस.चंदरी परियोजना | – | – | 01 परियोजना | 01 परियोजना | 01 परियोजना | 01 परियोजना |
| 2 | एकीकृत हाथकरघा विकास कार्यक्रम | 40 हितग्राही | – | —— | —— | – | – |

जिला स्तरीय योजना अन्तर्गत :

| क. | योजना का नाम | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 16 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | हाथकरघा विकास योजना | 5032 हितग्राही | 4976 हितग्राही | 3941 उद्यमी | 1504 उद्यमी | 3960 उद्यमी | 2715 उद्यमी |
| 2 | कुटीर उद्योग विकास योजना / मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 650 हितग्राही | 658 हितग्राही | —— | —— | – | – |
| 3 | वेलफेयर पैकेज योजना | 15500 हितग्राही | 15720 हितग्राही | —— | —— | – | – |

# संचालित योजनाएं

## (अ) जिला स्तरीय योजनाएं

### 1. हाथकरघा उद्योग विकास योजना

हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों, स्व–सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाओं के बुनकरों/शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार योग्य बनाने हेतु तकनीकी, विपणन एवं कार्यशील पूँजी हेतु सहायता प्रदान करना। बुनकर सहकारी समितियों, स्वसहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाएं जो कार्यशील होकर अपने सदस्यों को रोजगार प्रदान कर रही हैं, योजनांतर्गत सहायता के लिये पात्र होगी।

## (ब) राज्य स्तरीय योजनाएं

### 1. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यकम

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाने, वर्तमान क्लस्टर को सुदृढ़ करने, क्लस्टरों को वित्तीय समर्थन बढ़ाने, डायग्नोस्टिक स्टडी, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट डिजाइन, बाजार लिंकेजेस, सलाहकारों की सेवाएं लेने एवं कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमियों/अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु वर्कशाप अध्ययन भ्रमण के आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाए हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

### 2. उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, उत्पाद परिवर्तन/परिवर्धन, विपणन एवं निर्यात से जुडी हुई गतिविधियों तथा उद्योग के उत्थान के लिये यह योजना लागू की गई है।

### 3. कबीर बुनकर पुरूस्कार योजना

उत्कृष्ट हाथकरघा वस्त्र उत्पादन करने वाले बुनकरों को प्रथम रूपये 1,00,000/– द्वितीय रूपये 50,000/– एवं तृतीय राशि रू. 25,000/– पुरूस्कार तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान करने का प्रावधान है।

**4. अनुसंधान एवं विकास योजना**

हाथकरघा क्षेत्र में नवीन अनुसंधान/विकास कार्य नमूनो का निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के अनुमोदन अनुसार सहायता निगम, संघ एवं समितियों को स्वीकृत की जाती है। यह योजना भी संचालनालय स्तर से संचालित की जाती है।

**5. सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी कार्य**

हाथकरघा संचालनालय एवं अधीनस्थ जिला हाथकरघा कार्यालयो को सूचना प्रोद्योगिकी संबंधी कार्यो के लिए योजना से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

**6. स्पेशल प्रोजेक्ट**

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के प्रमुख कलस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये परियोजना आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, तथा संस्थानों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिपार्टमेंट आफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट आदि के सहयोग से परियोजनाएं कियान्वयन हेतु सहायता दी जाती है।

**7. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण**

प्रदेश के ग्रामोद्योग उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यो के (हाथकरघा, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग की परम्पराओं के) अभिलेखीकरण डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रेक्टीसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित होती है। सहायता की सीमा राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कमेटी के विवेकाधीन है।

**8. युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण :**

भारत सरकार द्वारा संचालित टेक्सटाईल/हाथकरघा/हस्तशिल्प/ग्राम एवं कुटीर इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रों/शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के बुनकरों/शिल्पियों के युवाओं को प्रशिक्षण छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता दी जाती है। भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर के लिए प्रदेश हेतु 10 सीटों का आरक्षण किया गया है, जिसमें प्रदेश के हाथकरघा उद्योग को उचित तकनीकी अमला उपलब्ध कराने की दृष्टि से 3 वर्षीय डिप्लोमा के हाथकरघा/हस्तशिल्प/ग्राम एवं कुटीर उद्योग से जुडें युवा बुनकरों/शिल्पियों/उद्यमियों को विभिन्न रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने हेतु शिल्पी परिवार के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवक व युवतियों को प्रशिक्षित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

## 9. राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यकम :–

विकास आयुक्त हाथकरघा, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हाथकरघा विकास योजना को 12 वी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है। इस योजना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है:–

1. क्लस्टर विकास कार्यकम।
2. हाथकरघा विपणन सहायता।
3. हाथकरघा संस्थाओं का विकास और सुदृढीकरण।
4. हाथकरघा संगणना।
5. नवोन्मेषी विचारों का कार्यान्वयन।
6. योजना का प्रचार–प्रसार, विज्ञापन, मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण और मूल्यांकन।

उपरोक्त घटकों में से क्लस्टर विकास कार्यकम योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू की जावेगी जो एकीकृत हाथकरघा विकास कार्यकम योजना के स्थान पर लागू होगी। इस घटक के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न घटकों को शामिल किया गया है :–

1. विपणन प्रोत्साहन सहायता।
2. क्लस्टरों का सुदृढीकरण।

## 10. मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना

योजना के अन्तर्गत हाथकरघा बुनकरों एवं शिल्पियों को रोजगार स्थापित किये जाने हेतु राशि रूपये 10.00 लाख तक के परियोजनाओं में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने पर सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राहियों को स्वीकृत ऋण पर 15 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 1.00 लाख) एवं सामान्य वर्ग की महिला हितग्राही एवं अनुसूचित जाति, जन जाति वर्ग के समस्त हितग्राहियों के लिये बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 30 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 2.00 लाख) दिये जाने का प्रावधान है, साथ ही योजना में समस्त वर्गो के हितग्राहियों को स्वीकृत बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (अधिकतम 25 हजार रूपये प्रति वर्ष) आगामी 7 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान है।

## 11. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत बुनकर/शिल्पियों को स्व–रोजगार स्थापित करने हेतु राशि रूपये 50 हजार तक की सहायता बैकों के माध्यम से ऋण के रूप में स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। आवेदक बी.पी.एल. का होना अनिवार्य होगा। आवेदन दिनांक को हितग्राही की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। इस योजना में परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 15,000 मार्जिन मनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

# रेशम संचालनालय

## तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियाँ

(अ) राज्य योजनाएं

मांग संख्या – 56 – सामान्य आयोजना (राशि रूपये लाख में)

| क. | योजना | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय (दिस.16 तक) |
| 1 | प्रशिक्षण एवं अनुसंधान | 397.50 | 392.27 | 591.00 | 318.96 | 460.28 | 161.29 |
| 2. | रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं व अन्य निर्माण कार्य | 649.50 | 508.63 | 649.50 | 165.90 | 411.04 | 151.23 |
| 3 | सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य | 15.00 | 14.98 | 20.00 | 19.14 | 45.00 | 31.45 |
| 4 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 1070.10 | 1054.12 | 1100.00 | 499.18 | 1024.20 | 1011.42 |
| 5. | स्पेशल प्रोजेक्ट | 0.01 | 00.00 | 00.01 | 00.00 | – | – |
| 6 | उद्यमियों/स्व. सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग | 455.00 | 406.16 | 436.10 | 123.10 | 439.83 | 14.40 |
| 7 | टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम | 1410.15 | 1205.54 | 586.40 | 421.89 | 221.80 | 135.82 |
| 8 | इरी रेशम विकास एवं विस्तार | 30.00 | 29.99 | 9.00 | 8.98 | 6.30 | 4.53 |
| 9 | रेशम उद्योग का विकास कार्य | 1803.67 | 1637.43 | 2033.23 | 1794.25 | 2377.17 | 1416.76 |
| 10 | प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण | 37.50 | 25.00 | 25.00 | 15.19 | 40.50 | 21.74 |
| 11 | रेशम मुख्यालय का रिनोवेशन | 0.01 | 00.00 | 00.01 | 00.01 | 00.00 | 00.00 |
| 12 | पालिसी रिफार्म इंटरशिप रिसोर्स | 0.01 | 00.00 | 00.01 | 00.01 | 00.00 | 00.00 |
| 13 | ई गवर्नेंस | 0.01 | 00.00 | 00.01 | 00.01 | 00.00 | 00.00 |
| | **योग** | **5868.46** | **5274.12** | **5450.27** | **3366.62** | **5026.12** | **2948.64** |

**मांग संख्या – 74**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मलबरी स्वावलंबन योजना | 104.47 | 81.06 | 119.10 | 12.96 | 00.00 | 00.00 |

**मांग संख्या – 41**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रशिक्षण एवं अनुसंधान | 140.00 | 120.22 | 169.00 | 65.83 | 152.00 | 62.47 |
| 2 | टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम | 1104.47 | 877.80 | 722.00 | 550.94 | 725.58 | 448.44 |
| 3 | रेशम उद्योग का विकास कार्य | 1800.00 | 1537.73 | 2052.00 | 1272.72 | 970.12 | 669.05 |
| 4 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना | 14.90 | 9.90 | 280.00 | 18.23 | 31.50 | 10.00 |
| 5 | उद्यमियों/स्व सहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 4.50 | 4.50 |
| | योग | **3059.37** | **2545.65** | **3223.00** | **1907.72** | **1883.70** | **1194.46** |

**मांग संख्या–52**

**(राशि रूपये लाख में)**

| क. | योजना | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय (दिस.16 तक) |
| 1 | टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम | 77.50 | 69.04 | 78.80 | 67.65 | 38.43 | 23.07 |

**मांग संख्या – 64**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रेशम उद्योग का विकास कार्य | 889.00 | 739.55 | 993.46 | 829.47 | 380.18 | 217.39 |
| 2 | टसर रेशम विकास एवं विस्तार | 507.80 | 394.76 | 212.80 | 172.10 | 9.17 | 4.92 |
| 3 | प्रशिक्षण एवं अनुसंधान | 100.00 | 98.30 | 118.00 | 70.45 | 44.00 | 17.18 |
| 4 | रेशम उद्योग का विकास कार्य (पूंजी परिव्यय) | 396.00 | 215.53 | 20.00 | 4.50 | 48.50 | 21.50 |
| 5 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 75.00 | 43.77 | 195.00 | 5.00 | 00.00 | 00.00 |
| 6 | उद्यमियों/स्व सहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग | 30.00 | 0.00 | 116.90 | 18.96 | 00.00 | 00.00 |
| | **योग** | **1997.80** | **1491.91** | **1656.16** | **1100.48** | **481.85** | **260.99** |

## (ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

### मांग संख्या – 56

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम | 5127.36 | 3778.17 | 7087.69 | 2563.57 | 3619.80 | 00.00 |

### मांग संख्या – 41

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम | 885.00 | 103.75 | 973.45 | 257.62 | 1843.20 | 00.00 |

### मांग संख्या – 64

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम | 630.00 | 525.68 | 1321.14 | 303.75 | 880.20 | 00.00 |
| | **योग** | 6642.36 | 4407.60 | 9382.28 | 3124.94 | 6343.20 | 00.00 |
| | **महायोग** | 17749.96 | 13869.38 | 19909.61 | 9580.37 | 18495.22 | 4427.16 |

## तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियाँ

### अ. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

### 1. टसर कोया उत्पादन

| कमांक | विवरण | वर्ष 2014–15 | वर्ष 2015–16 | वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पालित | 360.073 | 287.614 | 92.381 |
| 2 | नैसर्गिक | 290.660 | 315.900 | 00.00 |
| | **योग** | **650.733** | **603.514** | **92.381** |

### 2. लाभान्वित हितग्राही

| क्रमांक | विवरण | वर्ष 2014–15 | वर्ष 2015–16 | वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जाति | 1265 | 415 | 149 |
| 2 | अनुसूचित जनजाति | 18974 | 14049 | 1049 |
| 3 | अन्य | 3927 | 1086 | 6483 |
| | **योग** | **24166** | **15550** | **7681** |

### 3. मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

| क. | विवरण | वर्ष 2014–15 | वर्ष 2015–16 | वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रेशम केन्द्रों का भोगाधिकार वितरित क्षेत्र (एकड में) | 985 | 1027 | 899 |
| 2 | मलबरी कोया उत्पादन (किलो में) | 1501000 | 1702900 | 514767 |

| लाभांवित हितग्राही | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जाति | 5981 | 1877 | 1891 |
| 2 | अनुसूचित जनजाति | 12792 | 5811 | 6000 |
| 3 | अन्य | 13289 | 6323 | 5050 |
| | **योग :** | **32062** | **14011** | **12941** |

## 4. इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यकम एवं विशेष सहायता योजना

| क्र. | योजना | वर्ष 2014–15 | वर्ष 2015–16 | वर्ष 2016–17 (दिस. 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अरण्डी पौधरोपण क्षेत्र (एकड़ में) | 200 | 225 | 00 |
| 2 | इरी शेल उत्पादन (कि.ग्रा. में) | 1505 | 1554 | 00 |
| 3 | लाभान्वित हितग्राही (संख्या) | 201 | 101 | – |

## रेशम संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएं

### 1. प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेशम संचालनालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी एवं लेखा प्रशिक्षण देना व कृषकों/हितग्राहियों को रेशम गतिविधियों का प्रशिक्षण, सेमिनार, वर्कशाप/एक्सपोजर भ्रमण कराना है। इस योजना के अन्य प्रभार मद के अंतर्गत मार्केटिंग सर्वे, मलबरी बीज के उत्पादन कार्य एवं मलबरी बीज केन्द्रों का संधारण कार्य संपन्न कराया जाता है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत रेशम संचालनालय के अधीन 2 मिनी आई.टी.आई. कमशः वारासिवनी (जिला बालाघाट) एवं सारंगपुर (जिला राजगढ) में संचालित है, जिनमें कृमिपालन, धागाकरण एवं वस्त्र बुनाई ट्रेड के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है।

### 2. मलबरी स्वावलंबन योजना

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 99 शासकीय रेशम केन्द्र, जो न्यूक्लियस केन्द्र के रूप में संचालित है, उनके माध्यम से निजी क्षेत्र के हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं नवीन तकनीक जानकारी दी जाती है। शासकीय स्वावलंवन केन्द्रों पर उपलब्ध शहतूती पौधरोपण का सामान्यतः 01–01 एकड क्षेत्र का भोगाधिकार रेशम कृमिपालन कार्य करने के लिये हितग्राहियों को आवंटित किया गया हैं।

## 3. मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

म.प्र. में रेशम विकास विस्तार का कार्य लगभग 44 जिलों में संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में निजी क्षेत्रों में शहतूती पौधरोपण का कार्य वृहद रूप से विस्तारित किया गया है। मलबरी रेशम कृमिपालक को द्वितीय अवस्था तक रेशम कृमियों को पालकर चॉकी प्रदाय की जाती है। रेशम कृमिपालकों को रियायती दर पर कृमिपालन हेतु स्वस्थ समूह मलबरी के अण्डे प्रदाय किये जाते है, इसके अतिरिक्त हितग्राहियों को स्व.समूह कृमिपालन हेतु चाकी, विसंक्रमण, नर्सरी कार्य, परिवहन प्रशिक्षण, संधारण, अन्य प्रभार तथा आधारभूत संरचना जैसे कृमिपालन गृह/फेंसिंग/सिंचाई सुविधा एवं उपकरण निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदाय किये जाते है।

## 4. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

### टसर कोया उत्पादन

**पालित** :– इस योजना के माध्यम से प्रदेश के मुख्यतः आदिवासी एवं वनों के करीब रहने वाले अन्य निवासियों को वन क्षेत्रों में टसर कृमिपालन कर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कीटपालन करने वाले हितग्राहियों को निरोगी अण्डे संचालनालय के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते है। कृमिपालन का कार्य वन क्षेत्रों में उपलब्ध साजा अर्जुन एवं लेंडिया के वृक्षों पर होता है।

**नैसर्गिक** :– प्रदेश में मुख्यतः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला, अनूपपुर, शहडोल, सिवनी एवं बालाघाट इत्यादि जिलों के साल/अर्जुन वनों से नैसर्गिक रूप में टसर कोसा का उत्पादन होता है जहॉ ककून के उत्पादन स्तर को लगातार बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा प्रगुणन कैम्प लगाये जाते हैं। वनों में उत्पादित ककून को स्थानीय हितग्राही एकत्रित कर स्थानीय हाट–बाजार में विक्रय कर आय अर्जित करते हैं।

## 5. उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम

**मलबरी** :– मलबरी रेशम को निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु कृषकों की निजी भूमि में शहतूती पौधरोपण के लिये विस्तार कार्यक्रम लिया गया है। इसके अंतर्गत छोटे एवं मध्यम किसानों की निजी भूमि पर मलबरी पौधरोपण कराया जाता है। जिसमें कृमिपालकों को पौधरोपण, प्रारंभिक कृमिपालन उपकरण, कृमिपालन भवन एवं सिंचाई सुविधा आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

**टसर** :– टसर क्षेत्र में कृमिपालन कर रहे हितग्राही को खाद्य पौधरोपण तथा चाकी उद्यान के उचित रख–रखाव तथा कृमिपालन उपकरण हेतु सहायता अनुदान प्रदान की जाती है।

### 6. इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यकम

प्रदेश में कृषकों को अनुपयोगी भूमि पर अतिरिक्त आय के उद्देश्य से कृषकों को इरी सिल्क उत्पादन के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है।

### 7. स्पेशल प्रोजेक्ट

रेशम योजनाओं में विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप अन्तर्गत इकाईयों कम्पनियों एवं व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा परियोजना कियान्वयन हेतु सहायता।

### 8. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यकम

रेशम योजनाओं के अन्तर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तीय समर्थन को बढाने हेतु डायग्नोस्टिक स्टडी करना नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट डिजाईन, बाजार, लिंकेज सलाहकारों की सेवा लेना, कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उद्यमियों/अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु सेमीनार, वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि का आयोजन करना तथा अन्य गतिविधियों हेतु सहायता।

### 9. उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

रेशम योजनाओं से संबंधित इकाईयों में संबद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों, स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं इत्यादि को नवीन कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पाद परिवर्तन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हर गतिविधियों के उत्थान के लिये सहायता।

### 10. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

रेशम उत्पादों की लोकप्रियता बढाने तथा विकास कार्यों का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण के लिए सहायता।

# मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

## तीन वर्षो की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियाँ

**राज्य आयोजना (मांग संख्या–56)** (राशि रूपये लाख में)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय (दिस. 16तक) |
| 1 | स्थापना अनुदान | 538.00 | 493.88 | 538.00 | 288.83 | 484.20 | 116.52 |
| 2 | अमला प्रशिक्षण | 12.00 | 11.54 | 12.00 | 12.00 | 7.20 | 6.48 |
| 3 | खादी उत्पादन पर रिबेट | 40.00 | 33.90 | 55.00 | 55.00 | 49.50 | 48.88 |
| 4 | कत्तिनों को सहायता | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 5 | प्रचार–प्रसार | 30.00 | 30.00 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | अधोसंरचना विकास | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | विपणन सहायता | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | कच्चा माल क्रय सहायता | 280..00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 180.00 | 180.00 |
| 9 | एकीकृत कलस्टर विकास | 50.00 | 50.00 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण | 13.00 | 13.00 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | उद्यमियों एवं स्व–सहायता समूहों को सहायता | 16.00 | 10.60 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | अनुसंधान एवं विकास | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 27.00 | 27.00 |
| 13 | विन्ध्यावैली | 0.01 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | स्पेशल प्रोजेक्ट | 20.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | कारीगर प्रशिक्षण | 58.92 | 58.92 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | सूचना प्रौद्योगिकी | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 14.95 | 13.50 | 8.83 |
| 17 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 650.00 | 650.00 | 700.00 | 700.00 | 630.00<br>2850.00 | 2722.50 |
| 18 | कौशल उन्नयन प्रशिक्षण | 20.00 | 8.00 | 70.00 | 70.00 | 244.44 | --- |
| 19 | विपणन एवं प्रचार–प्रसार | --- | --- | 135.00 | 134.96 | 112.50 | 112.50 |
| 20 | ग्रामोद्योग गतिविधियॉ संचालन एवं संवर्धन | --- | --- | 198.52 | 191.10 | 126.936 | 120.00 |
| | **योग** | **2022.93** | **1934.84** | **2053.52** | **1796.84** | **4725.276** | **3342.71** |

**आदिवासी उपयोजना (मांग संख्या–41)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कारीगरों को प्रशिक्षण | 200.00 | 200.00 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | कौशल उन्नयन | 3.00 | 0.90 | 28.00 | 28.00 | 52.362 | 10.15 |
| 3 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 27.54 | 27.54 | 217.00 | 217.00 | 292.347 | 292.347 |
| | **योग** | **230.54** | **228.44** | **245.00** | **245.00** | **344.709** | **302.497** |

**विशेष घटक योजना (मांग संख्या–64)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 44.59 | 44.59 | 325.00 | 325.00 | 391.284 | 391.284 |
| 2 | कौशल उन्नयन | 2.00 | 0.60 | 27.00 | 27.00 | 71.802 | --- |
| 3 | कारीगरों को प्रशिक्षण | 263.81 | 263.81 | --- | --- | --- | --- |
| | **योग** | **310.40** | **309.00** | **352.00** | **352.00** | **463.086** | **391.284** |

केन्द्र शासन (खादी ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित (राशि लाख रू.में)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय(दिसम्बर,16 तक) |
| 1 | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | 2454.82 | 2401.45 | 2438.82 | 1715.37 | 2991.55 | 355.60 |

## तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियाँ

राज्य आयोजना (मांग संख्या–56) (हितग्राहियों / इकाईयों की संख्या)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2014–15 | वर्ष 2015–16 | वर्ष 2016–17 (दिसम्बर,16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कच्चा माल क्रय सहायता | 404 | 425 | 430 |
| 2 | कत्तिनों को सहायता | 375 | 410 | 420 |
| 3 | अमला प्रशिक्षण | 119 | 129 | 102 |
| 4 | कारीगर प्रशिक्षण / कौशल उन्नयन | 550 | 195 | 29 |
| 5 | प्रचार प्रसार | 103 | 114 | 52 |
| 6 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 1409 | 914 | 1830 |
| | **योग** | **2960** | **2187** | **2863** |

आदिवासी उपयोजना (मांग संख्या–41)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2014–15 | वर्ष 2015–16 | वर्ष 2016–17 (दिसम्बर,16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कारीगरों को प्रशिक्षण / कौशल उन्नयन | 234 | 48 | 55 |
| 2. | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 390 | 276 | 231 |
| | **योग** | **624** | **324** | **286** |

विशेष घटक योजना (मांग संख्या–64)

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2014–15 | वर्ष 2015–16 | वर्ष 2016–17 (दिसम्बर, 16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कारीगरों को प्रशिक्षण / कौशल उन्नयन | 350 | 140 | 03 |
| 2 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | 566 | 430 | 415 |
| | **योग** | **916** | **570** | **418** |

केन्द्र शासन (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित

| क्रं. | योजना का नाम | वर्ष 2014–15 | वर्ष 2015–16 | वर्ष 2016–17 (दिसम्बर,16 तक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम | 905 | 486 | 96 |

## संचालित योजनाएं

1. **स्थापना अनुदान आयोजना**

   - योजनाओं के संचालन हेतु विभागीय केन्द्रों पर पदस्थ अमले के वेतन भत्तों की प्रतिपूर्ति हेतु स्थापना अनुदान आयोजना मद से राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

2. **बोर्ड अमले को तकनीकी प्रशिक्षण**

   - बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना का अधिकार, विपणन, लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर कार्य एवं क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण ।

3. **खादी उत्पादन पर रिबेट**

   - प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बुनकरों को खादी के उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत श्रमिकाई के अतिरिक्त, उत्पादन अनुदान ।
   - योजना का लाभ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं के बुनकरों को भी देय ।

4. **कत्तिन सहायता**

   - प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हाथ से कताई करने वाली कत्तिनों को सूत के उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत श्रमिकाई के अतिरिक्त, कत्तिन अनुदान ।
   - योजना का लाभ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं की कत्तिनों को भी देय ।

5. **प्रचार प्रसार**

   - खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास एवं संर्वधन के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रभावी प्रचार प्रसार।
   - क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आदि।

6. **अधोसंरचना विकास**

   - विभागीय उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था को शेड निर्माण, आधुनिक मशीनों आदि से सुदृढ़ करना, जिससे कत्तिनों, बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को निरंतर रोजगार के साथ–साथ उनकी कार्यक्षमता एवं आय में वृद्धि हो सके ।

7. **विपणन सहायता**

   - ग्रामोद्योगी इकाईयों को गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, एवं क्रय सामग्री का तत्काल भुगतान हेतु सहायता ।

- विभागीय विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विक्रय एवं मेले/प्रर्दशनियों में भाग लेकर ग्रामोद्योगी उत्पादों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन ।

- ग्रामोद्योगी इकाईयों को मेला प्रर्दशनियों में भाग लेने पर स्टाल एवं आने जाने की सुविधा।

8. **कच्चा माल क्रय सहायता**

- उत्पादन में निरंतरता बनी रहे एवं हितग्राहियों को नियमित रोजगार सुलभ कराने के दृष्टिकोण से कच्चा माल सहायता ।

9. **एकीकृत कलस्टर विकास**

- बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों पर कत्तिन एवं बुनकर कलस्टर के रूप में कार्य करते हैं । इस क्लस्टर्स के अधोसंरचनात्मक विकास को सुनिश्चित करना ।

10. **प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण**

- खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादनों की लोकप्रियता बढ़ाने, विकास कार्यों का अभिलेखीकरण, ब्रोशर प्रिंटिंग, बेस्ट प्रेक्टिसेस का अभिलेखीकरण, परियोजना प्रतिवेदन तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के उपयोग हेतु सहायता ।

11. **उद्यमियों एवं स्व–सहायता समूहों को सहायता**

- ग्रामोद्योग से संबद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व–सहायता समूह एवं अशासकीय संस्थाओं को नवीन तकनीक एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पाद परिवर्तन एवं विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों के विकास हेतु सहायता ।

12. **अनुसंधान एवं विकास**

- अनुसंधान एवं विकास योजनान्तर्गत उत्पादन केन्द्रों की गुणवत्ता सुधार अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट असेसमेंट) हेतु व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थानों से अध्ययन/विश्लेषण कराना व उन्नयन करना ।

13. **विन्ध्या वैली**

- योजना का प्रमुख उद्देश्य विन्ध्या वैली ब्रांड को विकसित कर ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादको को बाजार उपलब्ध कराकर उसका उचित मूल्य दिलाना एवं उन्हें निरंतर रोजगार उपलब्ध कराना।

- योजनान्तर्गत ग्रामीण उत्पादों का मूल्य संर्वधन (वेल्यू ऐडिशन), कौशल उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, आकर्षक पैकेजिंग एवं मानकीकरण की सुविधा ।

14. **स्पेशल प्रोजेक्ट**

- खादी एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में विकास के लिये विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन ।

15. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना**

- समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग(विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना ।
- आर्थिक सहायता – सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रू. एक लाख),बी.पी.एल./अनुजाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्त जन हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम रू.दो लाख)
- परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रू. 25 हजार प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक देय ।
- गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय।

16. **सूचना प्रौद्योगिकी**

- सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत बोर्ड की विकासात्मक गतिविधियों, बजट प्रावधान एवं लेखों को अद्यतन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा जिला पंचायत कार्यालय, विभागीय केन्द्रों को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़कर उत्पादन विक्रय एवं रोजगार की जानकारी के साथ–साथ बजट के उपयोग पर भी नियंत्रण रखा जाना।
- डाटा बेस तैयार करने एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग।

17. **कौशल उन्नयन**

- बेरोजगार युवाओं/अल्प–कालिक रोजगार प्राप्त कृषि संबद्ध मजदूरों को कुटीर एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हस्तशिल्प व एलाईड गतिविधियों में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना।
- कारीगरों को उन्नत तकनीकी, गुणवत्ता सुधार एवं कौशल उन्नयन हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण।

## संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम
### तीन वर्षो की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां

(राशि रूपये लाख में)

| क्र. | योजना | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय (दिस. 16तक) |
| 1 | विकास सह संग्रहण केन्द्रों का संचालन | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 486.50 | 486.50 |
| 2 | प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 122.75 | 122.75 |
| 3 | हस्तशिल्पों की बिक्री पर अवहार | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 150.00 |
| 4 | अनुसंधान एवं विकास | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 13.50 | 13.50 |
| 5 | उद्यमियों/स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग | 60.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 27.00 | 27.00 |
| 6 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 350.00 | 342.40 | 226.00 | 225.95 | 235.539 | 224.535 |
| 7 | शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना | 30.00 | 18.00 | 30.00 | 30.00 | 0.009 | - |
| 8 | निगम मुख्यालय को मानिटरिंग हेतु अनुदान | 230.00 | 230.00 | 236.00 | 236.00 | 332.965 | 329.36 |
| 9 | निगम भवनों का संधारण | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 27.00 | 27.00 |
| 10 | स्पेशल प्रोजेक्ट | 5.00 | 3.00 | 00 | 00 | 0.009 | - |
| 11 | प्रमोशन अभिलेखीकरण | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 45.00 | 40.00 |
| 12 | अधोसंरचना विकास | 5.00 | - | 0.01 | 0.01 | 0.009 | - |
| 13 | राज्य स्तरीय पुरस्कार | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.70 | 2.70 |
| 14 | सूचना प्रौद्यागिकी | 15.00 | 9.00 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 13.50 |
| 15 | कालीन पार्क | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 |
| 16 | कौशल विकास | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 18.00 | 15.22 |
| | **योग** | **1576.01** | **1519.40** | **1642.02** | **1640.94** | **1564.484** | **1542.065** |

## तीन वर्षो की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धि

| क्र. | योजना | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि (दिस. 16तक) |
| 1 | प्रदर्शनी एवं प्रचार–प्रसार<br>अ. प्रदर्शनी संख्या | 60 | 61 | 60 | 47 | 52 | 34 |
| | ब–हितग्राही | 18000 | 20196 | 18000 | 20640 | 20610 | 18026 |
| 2 | उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग | 30 | 101 | 50 | 47 | 22 | 65 |
| 3 | एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम | 4250 | 4752 | 4900 | 4900 | 2660 | 2326 |
| 4 | शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना | 7200 | 2403 | 7000 | 7000 | - | - |
| 5 | राज्य स्तरीय पुरस्कार | 6 | - | 8 | - | 3 | - |
| | **योग–** | **29546** | **27513** | **30018** | **32634** | **23295** | **20417** |

## राज्य स्तरीय योजनायें

### 1.एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना

ग्रामोद्योग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ़ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तीय समर्थन को बढ़ाने हेतु डायग्नोस्टिक स्टडी करना, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट, डिजाइन, बाजार लिंकेज, सलाहकारों की सेवाऐं लेना, कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन, प्रशिक्षण

की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उद्यमियों अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु सेमीनार वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि का आयोजन करना तथा अन्य हाथकरघा संबंधी गतिविधियों/आवश्यकताओं हेतु सहायता। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाऐं, अधोसंरचना, प्री–लूम, पोस्ट लूम सुविधाओं की स्थापना करना।

**2. 'प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण योजना'**

प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढाने तथा विकास कार्यो का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर, प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग तथा वेस्ट प्रेक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जावेगी।

**3. स्पेशल प्रोजेक्ट योजना**

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी क्षेत्र के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ/प्रायवेट पार्टनरशिप अंतर्गत निजी इकाईयों, कंपनियों एवं व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा परियोजना का कियान्वयन।

**4 उद्यमियों/स्व. सहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग**

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम तथा खादी से संबंधित इकाईयों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व–सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाऐं इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पाद परिवर्तन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों के उत्थान के लिये सहायता।

**5. अनुसंधान एवं विकास योजना**

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित इकाईयों को क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य संपादित करने हेतु अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट एसेसमेंट) हेतु नीतियों के कियान्यन का व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थाओं से अध्ययन/विश्लेषण कार्य कराए जाने हेतु सहायता दी जा सकती है।

## 6. विकास केन्द्रों का संचालन

शिल्पियों व बुनकरों को घोषित सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के लिए निगम द्वारा हस्तशिल्प व हाथकरघा क्लस्टर्स में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा हैं ।

## 7. प्रदर्शनी प्रचार प्रसार

प्रदेश के शिल्पों व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री के लिए निगम द्वारा देशभर में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। इन प्रदर्शनियों में शिल्पियों /बुनकरों का सीधा सम्पर्क ग्राहकों से होता है उन्हें ग्राहकों की पसन्द का ज्ञान होता है व डायरेक्ट मार्केट लिंकेज मिलता है ।

## 8 हस्तशिल्प की बिक्री पर अवहार

राष्ट्रीय व धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर बिक्री पर अवहार दिया जाता है।

## 9. विपणन सहायता

शिल्पियों व बुनकरों के लिए सबसे प्रमुख समस्या विपणन की होती है। शिल्पियों के उत्पाद के विक्रय के लिए निगम द्वारा 22 एम्पोरियम संचालित किए जा रहे है, जिनमें से 10 प्रदेश के बाहर है। निगम द्वारा प्रति वर्ष देश भर में प्रदर्शनियों का आयोजन कर बिक्री की जाती है। निगम द्वारा ग्वालियर, इन्दौर व भोपाल में स्थाई हाट की स्थापना की गई है। यहां शिल्पियों को रोटेशन से अपने उत्पाद बिक्री करने का अवसर दिया जाता है।

## 10 विश्वकर्मा पुरस्कार

शिल्पियों द्वारा जीविकोपार्जन के लिए व्यवसायिक उत्पादन कराने के कारण शिल्प की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। शिल्पियों को कलात्मक उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु चयनित शिल्पियों को विश्वकर्मा पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। प्रथम पुरस्कार रूपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार 50,000/– व तृतीय पुरस्कार रूपये 25,000/– है। इसके अतिरिक्त लुप्तप्राय शिल्पों में कलात्मक सृजन के लिए प्रोत्साहन पुरूस्कार रूपये 15,000/– के अधिकतम 3 पुरस्कारों की व्यवस्था है।

# मध्य प्रदेश माटीकला बोर्ड

## तीन वर्षो की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां

(राशि लाख रूपये)

| क्र. | योजना | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय (दिस.16 तक) |
| **मांग संख्या–56** | | | | | | | |
| 1. | मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना | 210.00 | 160.00 | 210.00 | 210.00 | 481.01 | 294.66 |
| 2. | उद्यमियों को प्रशिक्षण | 7.00 | 6.39 | 12.00 | 12.00 | 10.80 | 10.80 |
| 3. | प्रचार–प्रसार योजना | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.20 | 7.20 |
| 4. | कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 2.90 |
| 5. | मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजना | 5.00 | – | 5.00 | – | 1.80 | – |
| **मांग संख्या–64** | | | | | | | |
| 1. | मुख्यमंत्री स्वरोजगार /आर्थिक कल्याण योजना | 55.00 | 52.45 | 65.00 | 65.00 | 13.49 | 13.49 |
| **मांग संख्या–41** | | | | | | | |
| 1. | मुख्यमंत्री स्वरोजगार /आर्थिक कल्याण योजना | 75.00 | 26.90 | 75.00 | 75.00 | 0.90 | 0.90 |
| | **महायोग (मांग संख्या–41+56+64)** | **360.00** | **253.74** | **375.00** | **370.00** | **519.70** | **329.95** |

## तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियां

(इकाई संख्या)

| क्र. | योजना का नाम | वर्ष 2014–15 | | वर्ष 2015–16 | | वर्ष 2016–17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि (दिस. 16तक) |
| 1 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार /आर्थिक कल्याण योजना | 700 | 715 | 700 | 563 | 1000 | 481 |
| 2 | उद्यमियों को प्रशिक्षण | 35 | 73 | 60 | 50 | 50 | 46 |
| 3 | प्रचार–प्रसार योजना | 15 | 34 | 15 | 41 | 30 | 38 |
| 4 | मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजना | 725 | – | 715 | – | – | – |
| 5 | कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम | 06 | 13 | 10 | 13 | 15 | 08 |
| | **योग** | **1481** | **835** | **1500** | **667** | **1095** | **573** |

# मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड की योजनायें

## 1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार/आर्थिक कल्याण योजना :

- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना** में परियोजना लागत रूपये 0.50 लाख से 10.00 लाख तक इकाई स्थापित करने के लिये परियोजना लागत का सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 1.00 लाख तक एवं बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन हेतु 30 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2.00 लाख तक मार्जिन मनी सहायता।

- **"मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना"** में परियोजना लागत रूपये 50,000/– तक का बी. पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 15000 एवं अन्य वर्ग के उद्यमियों को रूपये 7,500/– तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाती हैं।

- 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपये 25,000/– तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष तक।

## 2. माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण योजना

माटीकला उद्यमियों की प्रशिक्षण योजना में माटी शिल्प के विकास एवं मूल्य संवर्धन (value addition) प्रशिक्षण देश एवं प्रदेश स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों के माध्यम से दिया जाता है।

## 3. माटीकला प्रचार–प्रसार योजना

इस योजना अंतर्गत माटीकला शिल्पियों के लिये संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से किया जाता है एवं कामगारो/शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रति वर्ष 3 उत्कृष्ट शिल्पियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों को प्रदेश या प्रदेश के बाहर आयोजित होने वाले मेले/प्रदर्शनी आदि में भागीदारी और मेले के आयोजन के लिये सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

## 4. मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजना

इस योजना में माटीकला उद्यमियों को बैंक से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये 5 वर्ष तक बैंक लोन का 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाती हैं।

## 5. कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

इस योजना में प्रदेश के माटीशिल्पयों को प्रदेश के बाहर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विशिष्ट माटी उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

## भाग–चार

## अभिनव योजना

### हाथकरघा संचालनालय

- **बुनकरों को उन्नत हाथकरघो का प्रदाय** – महेश्वर के 234 बुनकरों को उन्नत आयरन फ्रेम लूम दिए जा रहे है। इन लूमों से जहां एक ओर क्वालिटी में सुधार होगा, वही उनकी बुनाई क्षमता भी बढेगी, इससे बुनकरों की आय में वृद्धि होगी।

- **वर्कस्टेशन का निर्माण एवं उन्नत करघो का प्रदाय** – चंदेरी में आई.आई.यू.एस. परियोजना के अंतर्गत 24 वर्क स्टेशन में 240 लूम स्थापित करने की प्रकिया निरंतर है। इस परियोजना के अंतर्गत हैण्डलूम पार्क के वर्क स्टेशन में 240 बुनकरों के लिए लूम स्थापित किए जा रहे है। इससे बुनकरों को एक ही स्थान पर प्री लूम, पोस्ट लूम के साथ वीविंग करने की सुविधाए उपलब्ध हो जाऐंगी।

- **बुनकारों के फोटो युक्त पहचान पत्र प्रदाय** – प्रदेश के बुनकरों को फोटो युक्त पहचान पत्र उपलब्ध कराये जा रहे है। इन पहचान पत्रों का लाभ शिल्पियों को बैंको से ऋण लेने, एवं सामान बेचने के लिए बाहर जाने में सहायता प्राप्त होगी।

### रेशम संचालनालय

- **सतपुडा वूमन सिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी बैतूल** – बैतूल जिले में सतपुडा वूमन सिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड बैतूल का पंजीयन कराया गया है। इस कम्पनी का संचालन शतप्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। बैतूल जिले के 70 गॉव की 931 महिलाओं द्वारा रेशम कृमिपालन कार्य किया जा रहा है। 931 एकड क्षेत्र में शहतूत पौधरोपण है। लगभग 2.50 लाख किलोग्राम मलबरी ककून का प्रति वर्ष उत्पादन किया जाता है औसत उत्पादन प्रति एकड 250 किलोग्राम के आधार पर लगभग राशि रूपये 75 हजार प्रति एकड़ आय प्राप्त होती है।

- **खरगोन, बड़वानी एवं धार जिले में रेशम के नवीन क्लस्टर का विकास** – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंर्तगत प्रदेश के खरगोन, बड़वानी एवं धार जिले में कृषकों की निजी

भूमि पर मलबरी पौधरोपण कार्य कराया गया है। विगत तीन वर्षो में 489 एकड़ में मलबरी पौधरोपण कराया जाकर 489 हितग्राहियों द्वारा रेशम कृमिपालन कार्य किया जा रहा है।

## मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

- **खादी वस्त्र उत्पादन** – प्रदेश में खादी वस्त्रों के विपणन को बढावा देने हेतु भोपाल में खादी वस्त्रो का वातानुकूलित एक्स्क्लूसिव शोरूम दिनांक 2 अक्टूवर 2016 को प्रारम्भ किया गया है। इसी के साथ सुपर फाईन क्वालिटी की खादी का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुरूप खादी वस्त्रों को बढावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

- **महिला हितग्राहियों को टू व्हीलर रिपेरिंग प्रशिक्षण** – प्रदेश में पहली बार 39 महिलाओं को कौशल विकास योजना के तहत टू व्हीलर रिपेरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इन महिलाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत लाभान्वित कर स्वरोजगार हेतु सहायता दी जावेगी।

## संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

- **प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण** – विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार की परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 11 क्लस्टरों में नवीन भवनों का निर्माण एवं 6 क्लस्टरों में सी.एफ.सी. स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत सी.एफ.सी. में ट्रेनिंग हेतु सर्व सुविधायुक्त बिल्डिंग के साथ–साथ, कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर एवं अन्य सॉफ्ट फेसिलिटी भी उपलब्ध होंगे।

## मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

- **माटी शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण** – राजस्थान के टेराकोटा एवं ब्ल्यू पाटरी आदि उन्नत उत्पाद तैयार करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों से प्रदेश के माटी शिल्पियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। वर्ष 2016–17 में 8 उद्यमियों को जयपुर (राजस्थान) में ब्ल्यू पॉटरी उत्पाद निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

## भाग–पांच

# महिला नीति

### हाथकरघा संचालनालय

हाथकरघा एवं कुटीर उद्योग का कार्यक्षेत्र व्यक्ति विशेष न होकर पारिवारिक गतिविधि के रूप में संचालित होता है। प्रदेश के जेंडर बजट में ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं को श्रेणी दो में सम्मिलित किया गया है। विभाग के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान का न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के लिए उपयोग किया जाता है। स्व सहायता समूहों के गठन, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता आदि में महिला हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाती है।

### रेशम संचालनालय

रेशम संचालनालय के अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत शासकीय स्वावलंबन केन्द्र पर उपलब्ध एक एकड़ अथवा आधा एकड़ का भोगाधिकार दिया गया है जिसमें स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के बचत समूह गठित किये गये हैं, साथ ही टसर क्षेत्र में कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में उत्पादित समस्त प्रकार के रेशम ककून की धागाकरण इकाईयां म.प्र. सिल्क फेडरेशन के अन्तर्गत कियान्वित है, उल्लेखनीय है कि प्रदेश में संचालित समस्त रेशम धागाकरण इकाईयों में शत प्रतिशत महिलाओं द्वारा धागाकरण का कार्य किया जाता है।

### मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धागा कताई, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत इकाई स्थापना में महिला हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चितें की जाती है तथा विन्ध्यावैली के तहत महिला हितग्राहियों के समूहों के उत्पादों के विपणन में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। खादी उत्पादन योजनांतर्गत 410 महिला कत्तिनों को तथा विन्ध्या वैली परियोजनान्तर्गत स्व–सहायता समूह की लगभग 3500 सदस्यों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है ।

### मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निगम मुख्यालय भोपाल में एक सामान्य सुविधा केन्द्र में सिलाई केन्द्र की स्थापना की गई है। इस सेंटर में सिलाई मशीन व अन्य उपकरण स्थापित किये गए है। इस केन्द्र में सिलाई के कार्य केन्द्र एक स्व–सहायता समूह बनाया गया है। केन्द्र में समूह की महिलाओं को निःशुल्क कार्य दिया गया है। जिसमें 25–30 महिलाये लाभान्वित हो रही है। समूह द्वारा बनाये गए बनाये गए वस्त्र एवं अन्य सामग्री विक्रय हेतु क्रय की जाती है।

### मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

माटीकला उद्योग पारिवारिक गतिविधि के रूप में संचालित होता है। बोर्ड को आवंटित बजट में 30 प्रतिशत बजट में महिला हितग्राहियों की भागीदारी की जाती है।

भाग–छः

## सारांश

## हाथकरघा संचालनालय

प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर हाथकरधा वस्त्र बुनाईकला के संरक्षण एंव विकास हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत उपकरणो का प्रदाय,क्लस्टरो में अधोसंरचना विकास, डिजाइन विकास एंव उत्पाद विकास पर जोर दिया गया। उत्पादों के विपणन मे सहायता हेतु भण्डार क्रय नियमों के तहत शासकीय विभाग से प्राप्त आदेश प्राप्त करने, देश एंव प्रदेश मे मेला, एक्सपो एंव प्रदर्शनियो का आयोजन अथवा उनमें भागीदारी सुनिश्चित की गयी।

## रेशम संचालनालय

देश में उत्पादित हो रहे समस्त प्रकार के रेशम एवं मांग के आधार पर लगभग 7000 मीट्रिक टन की कमी है। म.प्र. की कृषि जलवायु समस्त प्रकार के रेशम उत्पादन हेतु उपयुक्त है।

प्रदेश में प्राकृतिक वन की वृहद संपदा है जिनमें टसर ककून का उत्पादन किया जा रहा है। अतः प्रदेश में देश की वर्तमान मांग की पूर्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2018 तक राज्य को देश का एक मुख्य रेशम उत्पादक राज्य बनाने की ओर प्रतिबद्ध है।

## मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में खादी उत्पादन जिसमें सिल्क, ऊनी तथा सूती खादी सम्मिलित है के अंन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में निवासरत् इन गतिविधियों से जुड़े अधिक से अधिक कत्तिन व बुनकरों को लाभान्वित किए जाने का सतत् प्रयास किया जाता है।

खादी उत्पादन केन्द्रों से संबंद्ध कत्तिन, बुनकर एवं अन्य कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विन्ध्या वैली प्रोजेक्ट अंतर्गत बिक्री के समस्त सार्थक प्रयास करते हुए अधिक से अधिक बिक्री के प्रयास किये जा रहे है जिससे उनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रोजेक्ट से जुड़े स्व–सहायता समूहों के सदस्यों, अधिसंख्य महिलाओं को प्राप्त होता है।

## हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

निगम द्वारा परम्परागत शिल्पी व बुनकर परिवारों के युवाओं को परम्परागत आजीविका में ही बनाए रखने के लिये उचित वातावरण बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर में बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। एम्पोरियमों की बिक्री बढ़ाने के लिये एम्पोरियमों की साज–सज्जा परिवर्तित की जा रही है, व नई प्रोडक्ट रेंज विकसित की गई है। डिज़ाइनर आइटम्स का उत्पादन एसोसिएट शिल्पियों व बुनकरों से करवाया जा रहा है जिससे उनकी आमदनी बढ़ कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्वि हो।

## मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

प्रदेश के मिट्टी कला से जुडे शिल्पकारों, कारीगरों एवं कामगारों के उत्थान हेतु कियान्वित योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को मशीनरी, कच्चा माल, वर्क शेड निर्माण एवं विद्युत चलित उन्नत शैला चाक हेतु सहायता उपलब्ध कराकर व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।